(ग) प्रकाशक संघ और भारतीय पुस्तक विक्रेता संघ भारतीय प्रकाशक संघ और शैक्षिक प्रकाशक संघ मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और भारत के प्रधान मंत्री के कार्यालय सहित संबंधित मंत्रालयों को अभ्यावेदन/ज्ञापन भेज रहे हैं। इन ज्ञापनों में उठाए गए मुद्दों में निम्नलिखित शामिल हैं ;

1. कागजों की कीमतों में वृद्धि ।

2. प्रकाशन उद्योग का कमजोर वित्तीय आधार ।

3. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 क्यू-क्यू के अंतर्गत रियायत वापिस देना ।

4. आयात नीति ।

5. डाक दर।

6. राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् का पुनर्गठन ; और

7. पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन ।

सरकार ने वित्तीय प्रशासनिक और अन्य कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए प्रकाशन उद्योग द्वारा प्रकाशित विभिन्न मुद्दों पर विधिवत विचार किया है। राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् का पुनर्गठन किया जा रहा है और इसके पुनर्गठन के बाद इस परिषद् में सभी समस्याओं की समीक्षा की जाएगी ।

Decision on Industrial Dearness Allowance

1376. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that members of the officers union ©f the Public Sector Undertakings could not get an appointment with the Prune Minister for more than two months;

(b) whether it is a fact that the decision on industrial deafness allowance for public sector undertakings is being taken without hearing the members of the officers' union; and

<c) if so. what are the reason; therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND THE MINISTER OF STATE IN THE j MINISTRY OF PROGRAMME IM-I PLEMENTATION (SHRI BHAGEY | GOBARDHAN: (a) to (c) Officers are employees $_0$f public sector enterprises and as such their associations are required to deal with the manage-| ment of tbe public sector enterprises ' only. In September, 1988, Government set up a Tripartite Cornmittee to review the existing Industrial dearness allowance formula in which both Labour and Managements were represented. The Committee after considerable deliberations could not come to any conclusion. The Government, after considering the deliberations j held in the various meetings of the ! Cornmittee, decided that all the em-| ployees of the Public Sector Enter- -j prises should continue to follow the ! Industrial Dearness Allowance formula with the neutralisation rate being raised from Rs. 1. 65 per point rise in AICPI (Simla series, 1960— j 100) to Rs. 1. 90 per point rise from ! 1-1-1989 beyond AICPI-800. This rate [1] as usual applies to officers and ncn-j officers alike, since the managements were represented $_0$n the Committee, ' the question of giving hearing to officers unions did not arise.

एन० सी० ई० आर० टी० की लक्ष्य प्राप्ति में विफलता

1377. श्री राम नरेश यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 मार्च, 1990 के डक्कन हेराल्ड में "एन० सी० ई० आर० टी० हेज फेल्ड टू रीच टारगेट्स सी० ए० जी०" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन द्वारा लगाए गए आरोपों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन आरोपों को देखते हुए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) :

(क) जी हां ।

(ख) 1978–79, 1985–86 तथा 1986–87 के संबंध में भारत के महालेखा-पाल तथा नियंत्रक की रिपोर्ट में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् के विभिन्न विभागों के कार्यकलापों के कुछ पहलुओं पर टिप्पणी की गई है जिसमें से कुछ पर दिनांक 19–3–1990 के डक्कन हैराल्ड में प्रकाशित समाचार में प्रकाश डाला गया था । इनमें से कुछ पहलू नीचे दिए गए हैं :—

1. माध्यमिक स्कूल अध्यापक तथा प्रारंभिक अध्यापक शिक्षक के प्रशिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफलता ।

2. माध्यमिक स्कूल अध्यापकों तथा प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षकों की व्याव-सायिक क्षमता को अद्यतन बनाने के लिए स्थापित सतत शिक्षा केन्द्रों का असंतोषजनक कार्यकरण ।

3. अनबिकी पुस्तकों तथा पर्याप्त मूल्यों के अप्रचलित शीर्षकों का संचय ।

4. अनुसंधान परियोजनाएं पूर्ण करने में विलंब ।

(ग) महालेखापाल तथा नियंत्रक की रिपोर्टों पर कार्यवाही करने के लिए एक सुनिर्धारित पद्धति है और सरकार के सभी विभागों/मंत्रालयों से इस पद्धति का अनु-पालन करने के लिए अनरोध किया गया है ।

थलसेना/नौसेना/वायुसेना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कमीशन प्राप्त अधिकारियों का प्रतिशत

1378. **श्री अजीत जोगी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थलसेना, नौसेना और वायुसेना में कमीशन प्राप्त अधिकारियों के वर्ग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के व्यक्तियों का वर्तमान प्रतिशत क्या है ; और

(ख) सशस्त्र बलों में उक्त श्रेणियों के व्यक्तियों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व दिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) भारत के सभी योग्य नागरिक, चाहे वे किसी भी जाति, वंश, समुदाय या धर्म के हों, चयन मानदण्ड के आधार पर सशस्त्र सेनाओं में किसी भी रैंक में भर्ती हो सकते हैं । अत: सेनाओं में किसी जाति, जनजाति या समुदाय के लिए कोई आरक्षण कोटा नहीं रखा गया है । सेनाओं में संक्रियात्मक कार्य-कुशलता यथासंभव उच्चतम स्तर पर बनाए रखने के लिए भर्ती की वर्तमान पद्धति को जारी रखना अपेक्षित है ।

गंगा कार्य योजना के अधीन वाराणसी में खर्च की गयी धनराशि

1379. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

"गंगा कार्य योजना" के अधीन वाराणसी और इलाहाबाद में जल प्रदूषण को रोकने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गयी और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत वाराणसी और इलाहा-बाद में स्कीमों पर मार्च, 1990 के अन्त तक क्रमश: रु० 30.15 करोड़